



2026:AHC:23932

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या – 2779/2026

श्यामलाल एवं अन्य

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : वीरेन्द्र सिंह तोमर

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

- वर्तमान याचिका में एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2/जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को दिनांक 17.01.2026 के प्रत्यावेदन को निस्तारित करने हेतु निर्देशित करने की है, जिसकी प्रति रिट याचिका के संलग्नक संख्या 1 के रूप में संलग्न है। उक्त प्रत्यावेदन में यह कहा गया है कि ग्राम प्रधान एवं अन्य व्यक्ति याची के जोत से उसका कब्जा हटाने का प्रयास कर रहे हैं।
- अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार के प्रयोग में, न्यायालय भूमि पर कब्जे के संबंध में विवादित तथ्य पर कोई निष्कर्ष अभिलिखित नहीं कर सकता है, और तदनुसार, याची को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती।
- रिट याचिका खारिज की जाती है, हालांकि याची को सामान्य विधि के तहत उपलब्ध उपचार का लाभ लेने की स्वतंत्रता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

4 फरवरी, 2026

सकलेन

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"